भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ

(भाग–1, खण्ड–1)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

सार्वजनिक सूचना सं. 84 (आर0ई0–2013)/2009–2014
दिनांकः 10 फरवरी, 2015

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड–I (परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र), 2009–14 में ई–आईईसी–आरंभ करने हेतु परिशिष्ट 18ख–1 का नया प्रपत्र (ई–आईईसी का प्रपत्र)।

विदेश व्यापार नीति (2009–14), के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड–I (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र) के परिशिष्ट 18ख–1 के अनुसार ई–आईईसी को जारी करने हेतु एक नए प्रपत्र की शुरूआत करते हैं और आगे अधिसूचित करते हैं किः

i) हाथ से भरे गए आवेदनों के आधार पर वास्तविक रूप में जारी की जा रही आईईसी संख्याओं हेतु मौजूदा प्रपत्र, परिशिष्ट 18ख लागू रहेगा।

ii) तथापि, ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर नई आईईसी संख्याएँ ई–आईईसी (परिशिष्ट 18ख–1) हेतु नए प्रपत्र, जैसाकि संलग्न है, के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाएंगी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद, आईईसी आवेदन में दिए अनुसार दस्तावेजों/ब्यौरे को प्रक्रियाबद्ध करेंगे तथा आईईसी देने या नहीं देने से संबंधित निर्णय को आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नं. पर प्रणाली द्वारा सृजित एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। साथ ही, यह प्रणाली ई–आईईसी सृजित करेगी तथा ईमेल के द्वारा आवेदक को ई–आईईसी भेजेगी; अथवा अस्वीकृति का कारण बताते हुए, जैसा भी मामला हो, अस्वीकृति पत्र सृजित किया जाएगा और आवेदक के ईमेल पर भेजा जाएगा।

2. <u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u>

ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में आईईसी संख्याओं अर्थात ई–आईईसी जारी करने हेतु नया प्रपत्र परिशिष्ट 18ख–1 के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह अधिसूचित किया जा रहा है कि आईईसी देने या अस्वीकृत करने से संबंधित निर्णय को एसएमएस के द्वारा आवेदक को सूचित किया जाएगा तथा प्रणाली सृजित पत्र आवेदक के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

[फा0सं0 01/93/180/20/एएम–13/पीसी-2 (ख)]

परिशिष्ट–18 ख (1)

इलेक्ट्रॉनिक आयातक–निर्यातक कोड (ई–आईईसी) का प्रपत्र

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
.................महानिदेशक, विदेश व्यापार का कार्यालय

....
....
(पूरा पता)

इलेक्ट्रॉनिक आयातक–निर्यातक कोड (ई–आईईसी) का प्रमाण–पत्र

[यह कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया प्रमाण–पत्र है। इस प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता डीजीएफटी की वेबसाइट (http://dgft.gov.in) पर "आयातक निर्यातक कोड संख्या देखें" की लिंक पर क्लिक करके और उसमें ई–आईईसी नंबर और ई–आईईसी धारक के नाम के कम से कम तीन अक्षर डाल कर सत्यापित किया जा सकता है।]

1. नामः
2. पताः
3. हस्ताक्षरकर्ता आवेदक का नाम और पदनाम जिसका फोटोग्राफ अपलोड किया गया हैः
4. शाखा / डिविजन / यूनिट का पता, यदि कोई होः
5. आईईसी संख्याः
6. जारी होने की तारीखः
7. पैन संख्याः

डिजिटल फोटोग्राफ

स्थानः

दिनांकः

जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

टिप्पणीः ई–आईईसी धारक के नाम / पता अथवा संस्थापन में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में ई–आईईसी धारक प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.1 के अनुसार कोई भी परिवर्तन होने की तारीख से 90 दिन बाद आईईसी संख्या के मद्दे तब तक आयात अथवा निर्यात का पात्र नहीं होगा, जब तक इस दौरान संबंधित प्राधिकारी द्वारा ई–आईईसी में परिणामी परिवर्तन नहीं कर लिया जाता।